

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत्।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी एवं आहत की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320-2 द0प्र0स0 एवं राजीनामा आवेदन फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी पक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डे तथा अभियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी की ओर से अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं। राजीनामा के संबंध में फरियादी के कथन अंकित किया गया।

अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323 विकल्प में 323/34 तथा 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध अभियोग पत्र पेश किया है जो कि शमनीय

है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के अपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 विकल्प में 323/34 तथा 506 भाग दो भागों के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K. Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gonad distt. Bhind (M.P.)